रीप(बी.आर्क.)–2018 में प्रतिभागी सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. सभी तकनीकी संस्थाओं (शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तपोषित संस्थाओं के अतिरिक्त) के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 5,000/– का भुगतान (Non Refundable) ऑनलाइन डिजीटल माध्यम (इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड) से करवाया जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. पंजीयन के अभाव में संस्था रीप(बी.आर्क.)–2018 की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पायेगी।
3. पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात पुनः लॉगिन करते हुये, संस्था ऑनलाइन कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स भर पायेगी। शासकीय/स्वशासी/स्ववित्तपोषित संस्था सीट मैट्रिक्स भरने से पूर्व Instruction Booklet के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आरक्षण नियमों की जानकारी कर लेवे।
4. संस्था सुनिश्चित कर लेवे कि उनके द्वारा भरी गई समस्त जानकारी (संस्था प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स) सही है, तदुपरान्त ही कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स को लॉक करें।
5. ध्यान रहे कि कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स लॉक करने के पश्चात किसी भी तरह का बदलाव किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा।
6. संस्था को उनके द्वारा इंद्राज की गई कम्प्यूटरीकृत कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स के प्रिन्टआउट की प्रति डायरेक्टर/प्रिसिंपल के द्वारा हस्ताक्षरित मय सील निर्धारित तिथि तक रीप(बी.आर्क.)–2018 कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. रीप(बी.आर्क.)–2018 बेव पोर्टल द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स के प्रिन्टआउट ही मान्य है।
8. पंजीयन शुल्क भुगतान चालान नम्बर ही आपका लॉगिन आई.डी. है।
9. रीप(बी.आर्क.)–2018 बेव पोर्टल द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स के प्रिन्टआउट के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:–
    - एआईसीटीई/काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संस्था के लिये वर्ष 2018–19 हेतु जारी Extension of Approval
    - विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्वता पत्र
    - संस्थान द्वारा नामित प्रभारी प्रवेश अधिकारी द्वारा देय नोटेरीकृत सहमति एवं वचनबद्वता प्रपत्र* (रीप(बी.आर्क.)–2018 बेव पोर्टल पर उपलब्ध)
    - पंजीयन शुल्क भुगतान की प्रति।
10. संस्था द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पंजीयन मय आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने हेतु संस्था में हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य हैं।

नोटः– पंजीयन शुल्क एवं पंजीयन फॉर्म (कॉलेज प्रोफाईल एवं सीट मैट्रिक्स) भरना मात्र ही संस्था के रीप(बी.आर्क.)–2018 के लिये प्रतिभागी संस्था होने का प्रमाण नहीं है। रीप(बी.आर्क.)–2018 कार्यालय आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सीट मैट्रिक्स की प्रमाणिकता एवं वैद्यता पूर्ण होने के पश्चात ही सफल पंजीकृत संस्था मानते हुये रीप(बी.आर्क.)–2018 की आगामी कार्यवाही/गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। उक्त दस्तावेजों की अस्वीकृति/अवैद्यता/अनुपलब्धता पाये जाने पर पंजीयन स्वतः ही रद्द माना जावेगा। इसके लिये संस्था स्वंय जिम्मेदार होगी।

संयोजक, रीप(बी.आर्क.)–2018